

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी  
अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर  
एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 04/2020

श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी, जयपुर प्रथम।

आवेदक,

वनाम

1. नागरमल यादव पुत्र श्री सुवालाल यादव (विक्रेता/मालिक) मैसर्स-जयपुर पनीर  
मावा उद्योग, दुकान नं० 9-10, बस स्टैण्ड निवाणा, खेजरोली रोड, सावरिया  
बिहार, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर।

अभियुक्तगण,

( आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/51  
खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 )

उपस्थिति:-

1. श्री पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री मंयक गुप्ता, अभिभाषक, अभियुक्त की ओर से।


निर्णय

दिनांक : 29.10.2021

आवेदक श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया  
है कि दिनांक 19.12.2019 को मैसर्स जयपुर पनीर मावा उद्योग दुकान नं० 9-10,  
बस स्टैण्ड, निवाणा, खेजरोली रोड, सावरिया विहार, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर  
के खाद्य कारोबारकर्ता अभियुक्त नागरमल यादव पुत्र श्री सुवालाल यादव की  
उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर एक कोल्ड बॉक्स में लगभग 60 किलो  
पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा होना पाया गया। इसमें मिलावट का शक  
होने पर इसमें से 1 किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच संख्या ई-4249 के लिये  
क्रय किया गया। क्रय की गई पनीर की कीमत अंके रूपये 240/- (अक्षरे रूपये  
दो सौ चालीस मात्र) मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता श्री नागरमल यादव  
को देकर केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत खाद्य कारोबारकर्ता  
एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये पनीर की जांच कराये जाने  
पर पनीर सब-स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा सब-स्टेण्डर्ड पनीर का  
विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन  
किया गया है। अतः नियमानुसार निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

- उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज  
रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित  
अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे  
शामिल मिसल कराया गया।


उभयपक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों  
को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित  
अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक  
29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए  
अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक, (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/2019  
/832 दिनांक 29.09.2019 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्षेत्र  
अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 के अनुसार उन्हें कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा  
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत



आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त विक्रेता के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 19.12.2019 को अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये पनीर का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले खाद्य कारोबारकर्ता नागरमल यादव के पास उपलब्ध पनीर का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर विक्रेता के पास एक कोल्ड बॉक्स में लगभग 60 किलो पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ होना पाया गया। इसमें गुणवत्ता की कमी का शक होने पर नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम पनीर की कीमत अंके रूपये 240/- (अक्षरे रूपये दो सौ चालीस मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता श्री नागरमल यादव को देकर क्रय किया गया और क्रय किये गये 1 किलोग्राम पनीर की कीमत अंके रूपये 240/- (अक्षरे रूपये दो सौ चालीस मात्र) का केश मीमो-रसीद खाद्य कारोबारकर्ता नागरमल यादव से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई-4249 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त नागरमल यादव के अंकित हैं। इस प्राप्ति रसीद पर खाद्य कारोबारकर्ता नागरमल यादव के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर हैं। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये हैं। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./3163/एक्ट/2019/2700 दिनांक 01.01.2020 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई-4249 को सब-स्टैंडर्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त नागरमल यादव, (विक्रेता) मैसर्स जयपुर पनीर भावा उद्योग, दुकान नं० 9-10, बस स्टैंड निवाणा, खेजरोली रोड, सावरिया बिहार, तहसील-चौमू, जिला-जयपुर द्वारा सब-स्टैंडर्ड पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कथन किया कि खाद्य आयुक्त नियमानुसार प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये हैं। खाद्य आयुक्त द्वारा प्रशिक्षित तकनीकी कर्मियों के स्थान पर प्रयोगशाला तकनीशियन, नर्स ग्रेड II, नेत्र सहायक, एमपीडब्ल्यू, एलडीसी आदि को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है, जो नमूना लेने के लिए निर्धारित योग्यता एवं प्ररक्षण धारक नहीं हैं। खाद्य विश्लेषक द्वारा जो फार्म बी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनें में पनीर का Fat Content मानक 50 प्रतिशत के स्थान पर 26.01 होना पाया गया है, जो कि कोई बड़ा अन्तर नहीं है, मामूली अन्तर है। वर्तमान की जलवायु और मौसम के अनुसार मानकता में थोड़ा बहुत अन्तर होना स्वाभाविक है। एकदम मानक प्रतिशित प्राप्त होना आमतौर पर संभव नहीं है। विक्रेता नागरमल यादव द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है ना ही उनके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये पनीर की गुणावत्ता में कोई कमी थी। वर्तमान जलवायु एवं मौसम के आधार पर मामूली सा मानक आधार में कमी रही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा



*[Handwritten signature]*


खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/51 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं:-


1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आवंटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्षेत्र अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 19.12.2019 को नमूने के लिए क्रय किये 1 किलोग्राम पनीर के समर्थन में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 19.12.2019 को दिये गये केश-मीमो की प्रति जिस पर स्वयं खाद्य कारोबारकर्ता नागरमल यादव के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्त हस्ताक्षर खाद्य कारोबारकर्ता नागरमल यादव के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता नागरमल यादव के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जांच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना सब-स्टैण्डर्ड होना अंकित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि नमूना लिये गये व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्धारित योग्यता एवं प्ररिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं था। हमारे विचार से नमूना लेने के पश्चात् नमूना जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में नमूने की जांच हेतु भिजवाया जाता है। प्रयोगशाला में तकनीकी रूप से प्ररिक्षित कर्मचारियों द्वारा नमूनों की जांच की जाती है। जिसके आधार पर खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्ररूप बी अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्त ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती भी नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्ररूप-बी दिनांक 01.01.2020 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नहीं है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते हैं कि अभियुक्त द्वारा सब-स्टैण्डर्ड पनीर विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रुपये 10,000 (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते हैं और यह आदेश देते हैं कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.10.2021 को सुनाया गया।



  
(डॉ. अशोक कुमार)  
न्याय निर्णयन अधिकारी,  
अति. जिला मजिस्ट्रेट,  
(चतुर्थ), जयपुर